ISSN: 2319 – 8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

Vol. 2, Issue 3, March 2013| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

सूचना का अधिकार : समस्याऐं एवं समाधान

Mrs. Anita Mahawar

Librarian, Govt. Bangur College, Didwana, Nagaur, Rajasthan, India

सार

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। यह स्पष्ट हें कि एक जानकार नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए बेहतर सक्षम है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है।एनआईसी ने सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में अक्टूबर 2005 में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को जानकारी पहुंचाने एवं सक्रिय खुलासों को प्रकाशित करने के लिए जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी (एए) नामित किया है।

परिचय

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वह 30 दिन की निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना उपलब्ध कराए। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।प्राप्त सूचना की विषयवस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।राष्ट्र की संप्रभुता, एकता-अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कैग और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया है।इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तर पर इसी तर्ज पर एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा।[1]
सूचना का अधिकार अधिनियम ने मंत्रियों की विदेश यात्राओं व उन पर हुए व्यय को सार्वजनिक करने में महती भूमिका निभाई है। इससे उन पर व्यर्थ में विदेश यात्रओं को न करने का दबाव बढ़ा है।मंत्रियों, नौकरशाहों और न्यायाधीशों की परिसंपत्तियों से संबंधित सूचना आर.टी.आई के जरिये ही प्राप्त हो सकती है। इसके प्रभाव के चलते अब नौकरशाहों द्वारा अपनी परिसंपत्तियों व देयताओं को सरकारी वेबसाइट्स पर दिखाया जाने लगा है, साथ ही इसे वार्षिक स्तर पर अद्यतन भी किया जाता है।सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदनों ने विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के परिणामों व अन्य जानकारियों को उद्घाटित करने के लिये संबंधित संस्थाओं पर दबाव डाला है।केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों व आर.टी.आई. आवेदनों के चलते सरकार ने वर्ष 2012 में आर.टी.आई. एक्ट के तहत फाइल नोटिंग को उपलब्ध कराया। इससे नौकरशाहों पर यह दबाव पड़ा कि वे फाइलों पर उचित तरीके से लिखें।सूचना के अधिकार संबंधी आवेदनों ने कई घोटालों को उजागर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।[9] इनमें आदर्श आवासीय घोटाला, 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला व कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला आदि शामिल हैं।[2]

भारत में सूचना अधिकार कानून (आरटीआई एक्ट) को लागू हुए तेरह साल पूरा हो चुका है, लेकिन आम जनता और सरकारी अधिकारी अभी भी इस कानून के कई पहलुओं से अनभिज्ञ हैं। यह अनभिज्ञता दायर की गई अपीलों और लोकसेवकों द्वारा दिये गये उन के जवाबों को देखकर स्पष्ट हो जाती है। कई बार ऐसी अपीलें दायर की जाती हैं, जिनके पीछे दायर[11] करने वालों के निजी स्वार्थ छुपे होते हैं। राजनीतिक पार्टियां कई बार अधिकारियों से अपनी खुन्नस निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। इलाके में कोई सड़क बन रही हो और स्थानीय प्रशासन उनकी बात सुनने से इंकार करता है तो आरटीआई की अर्जियां दाखिल कर दी जाती हैं। आरटीआई कानून के मुताबिक ऐसी सभी सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती हैं, जो सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अक्सर ऐसी सूचनाओं की मांग की जाती है, जो इस कानून के दायरे से ही बाहर हैं। कई बार ऐसी अपीलें दायर की जाती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। इस तरह की अपीलों से संबद्ध अधिकारी भी उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि वे पहले ही इस कानून के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियों से ग्रसित हैं।[3]

सूचना का अधिकार कानून के कई पहलू अभी भी संदेह के घेरे में हैं। उदाहरण के लिए, कौन सी सूचना सार्वजनिक की जानी है और कौन सी नहीं,[1] कई लोगों को अब तक यही स्पष्ट नहीं हो पाया है। 30 दिनों की समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान पर भी संदेह बना हुआ है। आम जनता इसकी व्याख्या अपने हिसाब से करती है तो सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को सूचना हासिल करने के लिए किसी भी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़

ता है। आरटीआई कानून के अंतर्गत सार्वजनिक हित से जुड़ी हर सूचना की मांग कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसी सूचनाएं जो आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और जिन्हें हासिल करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो, तो इस कानून की धारा 7 की उपधारा 9 के मुताबिक उसे उपलब्ध कराना जरूरी नहीं है। हालांकि ऐसे अपीलकर्ता आवश्यक शुल्क का भुगतान करके रिकॉड्र्स की समीक्षा की मांग कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जिनमें लोक सूचना अधिकारी अज्ञानतावश गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को भी मुफ्त में सूचनाएं उपलब्ध करा देते हैं। यह सही नहीं है, क्योंकि इससे बेतुकी अपीलों और स्वार्थी तत्वों को बढ़ावा मिलता है। राज्य लोक सूचना अधिकारी और अन्य संबद्ध अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरटीआई कानून के तहत अपीलें जरूरी शुल्क के साथ ही दायर की जाएं। इतना ही नहीं, अपीलकर्ताओं को रिकॉड्र्स की समीक्षा, फोटोस्टेट और सीडी आदि के लिए भी अलग से भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से संभव है कि बिना वजह अपील दायर करने वाले लोग खुद ही पीछे हट जाएं। सच तो यह है कि यदि अधिकारी इस कानून की धारा 4 में दिए गए अनुदेशों का पालन करें तो अपने
कीमती समय और ऊर्जा की काफी बचत कर सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त अपीलकर्ताओं को जरूरी सूचना हासिल करने के लिए संबद्ध वेबसाइट का पता दिया जा सकता है।[4]

अधिकांशतः अपीलकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने से पहले सूचना अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति का इंतजार करते रहते हैं। यह अनावश्यक है और इससे अपीलों के शीघ्र निस्तारण में बाधा पहुंचती है। यदि अपील किसी गंभीर मसले से जुड़ी न हो या नीतिगत फैसले से संबंधित न हो तो सूचना अधिकारियों को अपने वरिष्ठों की अनुमति का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी किन मसलों पर वरिष्ठों की अनुमति आवश्यक है, इसका फैसला पहले ही होना चाहिए[3], न कि अपील दायर होने के बाद। इतना ही नहीं, मानवीय कार्यों से जुड़ी अपीलों के मामले में अपीलकर्ता को आवश्यक शुल्क का भुगतान कर स्वयं ही रिकाड्र्स की समीक्षा के लिए आमंत्रित करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इन उपायों का नतीजा यह होगा कि बिना वजह अपील करने वाले लोग हतोत्साहित होंगे, जबकि जरूरतमंद लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। चूंकि तय समय सीमा के अंतर्गत सूचनाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सूचना अधिकारियों की है, इसलिए उन्हें सूचनाएं उपलब्ध कराने में अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। सूचना अधिकार कानून के कई पहलू अभी भी संदेह के घेरे में हैं। उदाहरण के लिए, कौन सी सूचना सार्वजनिक की जानी है और कौन सी नहीं, कई लोगों को अब तक यही स्पष्ट नहीं हो पाया है। 30 दिनों की समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान पर भी संदेह बना हुआ है। आम जनता इसकी व्याख्या अपने हिसाब से करती है तो सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को सूचना हासिल करने के लिए किसी भी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर लोग शुल्क के भुगतान से बचने के लिए अक्सर गरीब लोगों से अपीलें दायर कराते हैं यह चिंताजनक है।[5]

कई बार सूचना आवेदन भी विभागीय टालमटोल के कारण एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमते रहता है। ऐसी अपीलें, जिनकी विषयवस्तु को लेकर संदेह होता है, को अक्सर लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसके चलते संबद्ध विभाग को अंतिम अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने आर्थिक दंड का भुगतान भी करना पड़ता है। ऐसे हालात से बचने के लिए इन अपीलों के जल्दी निपटारे की कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए मामले की जल्द सुनवाई की व्यवस्था होनी चाहिए या जरूरी हो तो अपीलकर्ता से लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। ऐसी सूचनाओं, जिनके लिए शुल्क का भुगतान अनिवार्य है, के मामलों में ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है और बेहतर यही है कि सूचना उपलब्ध कराए जाने से पहले अपीलकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिला जाए। सूचना अधिकार कानून की आलोचना की एक बड़ी वजह यह है कि न्यायपालिका और इसकी गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। एक ओर जब हम लोकतंत्र, जनता के अधिकार और कानून के समक्ष समानता की बातें करते हैं तो इसकी कोई वजह नहीं दिखती कि न्यायपालिका को सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सूचना अधिकार कानून के इस विरोधाभास को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा, ताकि इसका ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल संभव हो सके।[6]

विदेशियों और गैर भारतीय नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराए जाने को लेकर भी संशय मौजूद है। सूचना अधिकार कानून के तहत उन्हें भी वे सभी सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जो सार्वजनिक हित से जुड़ी हैं। कानून की धारा 8 के तहत व्यक्तिगत या न्यायिक मामलों से जुड़ी सूचनाओं को छोड़कर लोकसेवकों की संपत्ति या आयकर से संबंधित ब्यौरे की मांग की जा सकती है। सूचना अधिकार कानून के लिए विभिन्न स्तरों पर जरूरी संसाधनों के गठन के साथ आम जनता और लोकसेवकों के बीच इसके सभी पहलुओं के प्रति जागरूकता में वृद्धि भी अपेक्षित है। राज्य के कल्याणकारी कार्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के मद्देनजर इस कानून के लिए जरूरी संरचना का गठन समय की जरूरत बन चुका है। यह आवश्यक है कि आम लोगों द्वारा दायर की गई अपीलों के शीघ्र निष्पादन के लिए अलग से अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।[7]

सूचना के अधिकार कानून का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू लोक प्राधिकरण के मुद्दे पर स्पष्टता की आवश्यकता है। कानून की धारा 2 (एच) के तहत लोक प्राधिकरण अथवा सार्वजनिक संस्थाओं के पास उपलब्ध सूचनाओं की मांग कर सकता है। सार्वजनिक संस्थाओं में संविधान द्वारा स्थापित या गठित, संसद या किसी राज्य विधायिका के कानून द्वारा स्थापित या गठित, केन्द्र या राज्य स

ISSN: 2319 – 8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

Vol. 2, Issue 3, March 2013| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

रकार की किसी अधिसूचना या आदेश के द्वारा स्थापित या गठित, राज्य व केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली, उनके द्वारा नियंत्रित या पर्याप्त मात्रा में सरकारी धनराशियां पाने वाले निकाय सभी गैर सरकारी संगठनों व निजी क्षेत्रों के निकाय जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित हैं, शामिल हैं। अब इस लोक प्राधिकरण की व्यापक परिभाषा जिसमें पंचायत से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय तक के स्तर शामिल हैं, जिससे सूचना मांग सकते हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से सामान्य नागरिक के लिए यह जान पाना कठिन है कि लोक प्राधिकरण संस्थाओं अथवा पब्लिक ऑथोरिटी में कौन सी संस्थाएं शामिल हैं या कौन-सी नहीं। एक सामान्य नागरिक के लिए यह जान पाना भी कठिन है कि कब-कब किस प्रशासकीय आदेश अथवा नोटिस से पब्लिक ऑथोरिटी कायम की गई अथवा सरकार के द्वारा नियंत्रित निकाय कौन से है? या फिर ऐसे गैर सरकारी संगठन कौन-से हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित है? इसी प्रकार इस परिभाषा में 'नियंत्रित' आंशिक सहायता प्राप्त संगठन' उलझनपूर्ण शब्द हैं। सूचना के निरीक्षण और अवलोकन को लेकर भी प्राधिकरण और आवेदकों में संशय की स्थिति निर्मित होती है।[8]

अधिनियम में अपीलीय अधिकारी के संबंध में भी अस्पष्टता है। सूचना के अधिकार कानून का यह प्रावधान है कि प्रत्येक सार्वजनिक संस्था में सूचना अधिकारी की नियुक्ति होगी। यदि आवेदक लोक सूचना अधिकारी के सूचना के अधिकार के आवेदन पर दिए गए निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे दो स्तरों पर अपील का अधिकार है । प्रथम अपील अधिकारी उसी सार्वजनिक सस्था के लोक सूचना के वरिष्ठ अधिकारी तथा द्वितीय अपील केन्द्रीय अथवा राज्य सूचना आयोग होंगे। इस तरह कानून के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी एक महत्त्वपूर्ण स्तर है जो नागरिकों को राहत प्रदान करेगा। अब तक का अनुभव यह है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय सामान्यतः वहीं होते हैं जो लोक सूचना अधिकारी के होते हैं। प्रथम अपील अधिकारी के कर्तब्य, जिम्मेदारी, गलत निर्णय देने पर जुर्माने की कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरन नागरिक द्वितीय अपील में सूचना आयोगों का दरवाजा खटखटाता है, जिससे देश के सूचना आयोगों के पास सूचना के अधिकार में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रथम एवं द्वितीय अपील के लिए आवेदक को अपीलीय सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाता है। अपीलीय कार्यालय के भौगोलिक रूप से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण आवेदक का मनोबल कमजोर होता है और उसे आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।[9]

सूचना के अधिकार कानून का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू कानून की धारा 4(1) (क) के तहत 17 श्रेणियों की सूचनाएं बिना नागरिक की मांग के स्वतः आगे बढ़कर प्रकाशित करनी चाहिए थी। साथ ही उसे समय-समय पर अद्यतन भी करना था। दुर्भाग्यवश यह अपेक्षा औपचारिकता मात्र बनकर रह गईं है। यदि ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाये तो इन 17 श्रेणियों की सूचनाओं को प्रकाशित कर देने से अथवा रिकॉर्ड मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं से सार्वजनिक संस्थाओं का कार्यभार घटता है। सूचना के अधिकार के आवेदनों की संख्या कम होती है तथा पारदर्शी ढांचा कायम होता है। लेकिन यह कार्य व्यापक रूप में नहीं हो पाया। सार्वजनिक संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे चाहे तो धारा 4 के तहत 17 श्रेणियों की सूचनाएं उजागर करे अथवा न करे। दण्ड के अभाव में अथवा ऐसी किसी बाध्यता के अभाव में इन संस्थाओं ने इस पर मनमानी रवैया बना लिया है।[9]

सूचना के अधिकार कानून में सर्वाधिक उलझन आज देशभर में फीस के सन्दर्भ में अलग-अलग मतों को प्रकट करने से आ रही है। कानून की धारा 6(1) में आवेदन शुल्क की बात कही गयी है जो सामान्यतः 10 रुपये हैं, किन्तु कुछ मामलों में यह 500 रुपये रखी गयी है। आवेदन शुल्क का यह मनमाना निर्धारण नागरिक के सूचना पाने के अधिकार का हनन है। कानून की धारा 7(5) में स्पष्टः रेखांकित है कि शुल्क तार्किक होना चाहिए। साथ ही धारा 7(3) में सूचना लेने के लिए जो सैम्पल, मॉडल, अतिरिक्त फोटो कापियों का शुल्क है, [10]

'फरदर फीस' शब्द का प्रयोग किया गया है। कानून में निर्धनता से नीचे (बीपीएल) से फीस लेने की मनाही है, लेकिन 'फरदर फीस के संदर्भ में निर्णय नहीं किया गया है । यहां सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या बीपीएल एक लाख से अधिक डाक्यूमेंट मांगे तो उसे दे देना चाहिए। संभवतः इसका उत्तर हां में नहीं होगा। सामान्यतः आवेदकों को अतिरिक्त सूचना प्राप्ति के लिए अनुमानित शुल्क बताकर राशि जमा करने को कहा जाता है जो कि नियमानुकूल नहीं है। जनसूचना अधिकारी को सटीक राशि की गणना करने के उपरांत ही आवेदकों को इस हेतु सूचित किया जाना न्यायोचित होना चाहिए।[11]

कानून की धारा 6(5) में सूचना के आदेश के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट' एवं ई मेल की बात कही जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में आवेदन शुल्क का प्रकार क्या हो? क्या ई पोस्टल आर्डर या अन्य कोई ऑन लाइन भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है? क्या समय के बचाव के लिए निर्धारित इस उद्देश्य को पूर्ण किया जा सकता है। सभी विभागों के लिए एक ही सूचना प्लेटफार्म का निर्माण नहीं हो पाया है। उक्त प्रावधानों के साथ ही कानून में व्यक्ति एवं नागरिक शब्द के स्पष्टीकरण की आवश्यकता, कानून में पर्याप्त विकेन्द्रीकरण के मुद्दों का अभाव, जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित मुद्दों में 48 घण्टे में निर्णय लेना, लेकिन उन मामलों में प्रथम अपील के लिए 30 दिन की अवधि के निर्धारण की विसंगति इत्यादि अन्य उलझे प्रश्न हैं।[12]

ISSN: 2319 – 8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

Vol. 2, Issue 3, March 2013| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

सूचना के अधिकार कानून के प्रयोग के कार्यान्वयन की उक्त उल्लेखित समस्याओं के सन्दर्भ में यह अत्यावश्यक है कि एक ओर कानून के सलेटी पक्षों को जल्दी साफ किया जाए दूसरी ओर इस कानून की असली मंशा प्रशासनिक ढांचे और तंत्र में दीर्घकालिक सुधारों को सुनिश्चित किया जाय। क्या कानून के दायरे को सुव्यवस्थित करने के लिए ‘पब्लिक अँथोरिटीज’ को चिन्हित करना, अपील अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना, आवेदन शुल्क के मुद्दों पर स्पष्टता, व्यक्ति एवं नागरिक के अर्थ स्पष्ट किया जाना आवश्यक नहीं है? कानून को प्रभावशाली बनाने के लिए सूचना के अधिकार मामलों के निस्तारण की गति बढानी होगी, सूचना आयोगों के पास मौजूदा अपीलों के बोझ को कम करने के उपाय करने होंगे और तकनीक के लाभों को चाहे वह ऑनलाइन भुगतान हो, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना आयोगों द्वारा मामलों का निस्तारण हो या रिकॉर्ड मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं, स्वतः सूचनाएं देने के मुस्तैद प्रयास और ऐसे ही अन्य उपायों से आगे और पीछे की कड़ियों को जोड़ना होगा।[13]

विचार-विमर्श

सूचना के अधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आने से सबसे बड़ा खतरा आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं को है। इन्हें कई तरीकों से उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित किया जाता है।औपनिवेशिक हितों के अनुरूप बना 1923 का आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम आरटीआई की राह में प्रमुख रोड़ा है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस अधिनियम को खत्म करने की सिफारिश की है जिस पर पारदर्शिता के लिहाज से अमल आवश्यक है।इसके अलावा कुछ अन्य चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे-

नौकरशाही में अभिलेखों के रखने व उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमजोर है।सूचना आयोगों को चलाने के लिये पर्याप्त अवसंरचना और स्टाफ का अभाव है।सूचना के अधिकार कानून के पूरक कानूनों, जैसे- ‘व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम’ का कुशल क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।[14]

स्वतंत्रता प्राप्ति के 58 वर्षो के पश्चात 12 अक्तूबर,
2005 से सूचना के अधिकार द्वारा नागरिकों के लिए लोकतंत्र में संभवतः पहली बार विधि द्वारा स्थापित लोक की सर्वोच्चता कायम की गई। सार्वजनिक संस्थाओं के पास उपलब्ध सूचनाओं पर नागरिकों की हकदारी जैसे साधारण अधिकार के परिणाम दीर्घ और गहन हैं । इस अधिकार से ई-
गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अपने परम्परागत समस्याओं में उलझे प्रशासनिक ढांचे को नई प्रशासनिक संस्कृति स्थापित करने का अवसर मिलता है। अब भारत भी दुनिया के उन 60 देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान कर पारदर्शी, जवाबदेह एवं गुड गवर्नेंस स्थापित करने की चाक चैबंद व्यवस्थाएं की है। पिछले दो वर्षा में इस कानून के कार्यान्वयन के दौरान कानून के दायरे एवं निष्पादन से जुडे ऐसे मुददे आए जिनका समय रहते समाधान आवश्यक है। शायद इसी आकांक्षा को देखते हुए 6 अध्यायों एवं 32 धाराओं के इस छोटे से लेकिन प्रभावशाली कानून की धारा 30 में यह प्रावधान है कि दो वर्ष में कानून का पुनः परीक्षण कर कानून के कार्यान्वयन में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश दिए जाएंगें। यह भी नितान्त आवश्यक है कि सूचना के अधिकार कानून के कार्यान्वयन से जुड़ी कुछ अस्पष्टताओं को दूर किया जाए। सारे देश के विविध क्षेत्रों, मीडिया, सिविल सोसाइटी के संगठनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक संस्थाओं में कानून के विविध प्रावधानों के अर्थ, दायरे को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनका समाधान आवश्यक है। ऐसे कुछ मुद्दों पर विचार एवं विकल्पों की खोज जरूरी है।[11]

सूचना जिनकी मांग की जा सकती हैं:

- सरकार व सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित सूचना
- सरकारी ठेकों, भुगतान, अनुमानित खर्च, निर्माण कार्यो के माप आदि की फोटो प्रतियाँ
- सड़क, नाली व भवन निर्माण में परियुक्त सामग्री के नमूने
- निर्माणधीन अथवा पूर्ण विकास कार्यों का निरीक्षण
- सरकारी दस्तावेजों, रिकार्ड पुस्तिका व रजिस्टरों आदि का निरीक्षण
- प्रार्थना पत्र व शिकायतों की स्थिति की सूचना[13]

परिणाम

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हालाँकि सूचना का अधिकार जन अधिकारों के पक्ष में अग्रसर तो हुआ है लेकिन वास्तविक लाभों को प्राप्त करने के लिये इसके मार्ग में आने वाली संरचनात्मक, संस्थागत और प्रक्रियागत बाधाओं व जटिलताओं के दुष्चक्र को तोड़ना होगा। इस क्रम में जागरूकता फैलाने वाला ठोस अभियान चलाना होगा। सूचना का अधिकार के संरक्षण में न्यायालयों और सिविल सोसाइटी संगठनों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी।[11]

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विशेषताएंः

1. आप केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाएँ तथा ऐसे संगठन व संस्थाएँ (गैर-
सरकारी) जिनका गठन, संचालन, नियत्रण और वित्तीय सहयोग राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा हो रहा है, से सूचना की मांग कर सकते है। {धारा 2 (ए) और (एच)}

ISSN: 2319 – 8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

Vol. 2, Issue 3, March 2013| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

2. प्रत्येक विभाग में एक या अधिक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे, जो लोगों से सूचना सम्बन्धी फार्म प्राप्त करेंगे व निर्धारित अवधि में सूचनाएं उपलब्ध करायेगें। {धारा 5 (1)}
3. इसके अलावा प्रत्येक उप जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे, जिनसे सूचना भी माँगी जा सकती है और लोक सूचना अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी की जा सकेगी यह अपील वे सम्बन्धित अधिकारियों को भेजेंगे। { धारा 5 (2)}[10]
4. सूचना चाहनेवाला व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
5. जब प्रार्थना पत्र अलिखित हो, तो सूचना अधिकारी प्रार्थना को मौखिक रूप से सुन कर लिखने में मदद करेगा। {धारा 6 (1)}
6. सम्बन्धित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त करने में मदद करेगा, जो निरीक्षण करने के लिए जरुरी हो। {धारा 7 (4)}
7. प्रार्थी को प्रार्थना पत्र देने के लिए किसी कारण अथवा व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।
8. सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान आवेदकों को करना होगा।[12]

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम सूचनाओं तक पहुँचने का एक कानूनी ढाँचा स्थापित करता है। सुशासन के एक उपकरण के रूप में इसकी व्यावहारिक सफलता की कुंजी नागरिकों के हाथों में ही है। नागरिकों का यह बुनियादी दायित्व है कि इस अधिनियम का उपयोग कर यह सुनिश्चित करें कि देश भर में सभी लोक प्राधिकरण एक सुदृढ़ एवं नागरिकों के पक्षधर होकर सूचना प्राप्त कराने वाले ढाँचे को स्थापित कर रहे हैं। आम नागरिक के लिए सूचना का अधिकार एक शक्तिशाली और जीवंत अधिकार बन सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार को मिटाने और सरकार की सेवा प्रदाता व्यवस्था को सुधारने में कामयाब हो, यह सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में इस कानून का उपयोग कर सरकार से सूचना माँगना होगा। यह सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने का सबसे विश्वस्त तरीका है। [13]

आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों ने सूचना के अधिकार कानून का प्रयोग किया है।

सूचना का अधिकार कदम-

कदम करके निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कानून के दायरे व मुख्य प्रावधानों के संबंध में मत मतान्तरों एवं अस्पष्ट क्षेत्रों को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। प्रशासकीय संरचना के विकास से यह कानून ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। ऐसे अधिकारी, जो जानबूझ कर अपने दायित्वों से मुंह मोड़ते हैं या मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने से आनाकानी करते हैं, उनके खिलाफ दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही बेतुके या स्वार्थी अपीलकर्ताओं के लिए भी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन दंड और जुर्माने के इन प्रावधानों को सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए और अधिकारियों के मनमाने व्यवहार पर रोक लगनी चाहिए। संबद्ध अधिकारियों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को भी ज्यादा स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय निकायों के अधिकारों में वृद्धि की जानी चाहिए। इस पर चिंतन और व्यापक शोध कार्य किये जाने की आवश्यकता है।[14]

संदर्भ

1 आलम, अफरोज.(2008).सूचना का अधिकार. नई दिल्ली: जामिया ईस्लामिया हिन्द, जामिया नगर. पृ 3
2 बाबेल, बसंतीलाल.(2009).सूचना का अधिकार. रायपुर: इण्डिया पब्लिशिंग कंपनी. पृ 25
3 भाटी, पी.एस. गहलोत, दिनेश.(2006).सूचना का अधिकार और जवाबदेहिता. मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल.
4 भुटानी, सुनील.(2000).सूचना का अधिकार पारदर्शिता की ओर अग्रसर, पेन्सी बुक्स. पृ 25
5 डोगर, भारत.(2001).लोकतंत्र का आधार सूचना का अधिकार. नई दिल्ली: सोशल चेंज पेपर्स. पृ 16
6 जैन, पी.के. (2011).सूचना का अधिकार.मेरठ: धीरज पॉकेट बुक्स. पृ 13
7 जैन, रमेश.(2007).सूचना का अधिकार: अपेक्षाएं और चुनौतियाँ. दिल्ली: इन्डो अमेरिकन बुक्स. पृ 12
8 मिश्रा, सुधांशु शेखर.(2009).सूचना का अधिकार और भारत में ग्रामीण विकास. नई दिल्ली: न्यू सेंट्री पब्लिकेशन. पृ 06
9 पांडे, अरुण.(2000).हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन. पृ 03
10 राजगढ़िया, विष्णु एवं केजरीवाल, अरविन्द.(2007).सूचना का अधिकार. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन. पृ 23
11 शास्त्री, ए,एस,इनाम. व्यावसायिक समाज कार्य. लखनऊ: गुलसी सोशल पब्लिकेशन. पृ 86
12 सिवाच, राजकुमार. कुमार सुनील.(2009).गावों के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार. कुरुक्षेत्र, अंक 35.
13 सुडान, सिंह, कृपाल.(2005).समाज कार्य: सिद्धांत एवं अभ्यास. लखनऊ: एन.एस.पब्लिकेशन. पृ 16
14 यादव, अभय सिंह.(2008).सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विवेचन. इलाहाबाद: सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स. पृ 46